पंजाब केसरी
सदा आपके साथ
जन्मदिन विवाह वर्षगांठ

बेटे/बिटिया के जन्मदिन | नव-विवाहित जोड़े को | अपने विवाह की वर्षगांठ को
फोटो हमें भेजें। प्रकाशन निःशुल्क होगा
newsjpr@punjabkesari.net.in
whatsapp
9314460124
नोट: मेल में नाम, माता-पिता का नाम, पता और मोबाइल नम्बर जरूर लिखें।

अग्रवाल शिक्षा समिति चुनाव पर उठे सवाल

जयपुर : चुनाव के वहिष्कार का ऐलान करते हुए पदाधिकारी।

जयपुर, 24 सितंबर (पंजाब केसरी) : अग्रवाल शिक्षा समिति के त्रैवार्षिक चुनाव 2026-29 की प्रक्रिया पर प्रत्याशी नरसिंह गुप्ता और मदन मोहन मित्तल ने सवाल उठाते हुए 27 सितंबर को होने वाले मतदान के बहिष्कार की घोषणा की है। उन्होंने मतदाता सूची, नामांकन प्रक्रिया और चुनाव समिति की पारदर्शिता पर कई आरोप लगाए हैं। प्रत्याशियों ने कहा कि जयपुर शहर के कई मतदाताओं के नाम और मोबाइल नंबर मतदाता सूची से गायब हैं, जबकि जयपुर से बाहर अन्य राज्यों और विदेशों में रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल किए गए हैं। बाहर रहने वाले सदस्यों को ऑनलाइन सुविधा देने के बजाय जयपुर आकर सूची में नाम देखने और नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिए जाने का आरोप भी लगाया।

राकेश आर्य निर्विरोध अध्यक्ष बने

जयपुर, 24 सितंबर (पंजाब केसरी) : श्री लोधी समाज संस्था, जयपुर का चुनाव गुरुवार को संपन्न हुआ। इस चुनाव में सदस्य राकेश आर्य ने नामांकन दाखिल किया था। अन्य कोई नाम नहीं आने के कारण चुनाव अधिकारी एडवोकेट पौरुष शर्मा ने निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा की।

इस अवसर पर लोधी समाज संस्था के निवर्तमान अध्यक्ष चंद्रभान सिंह लोधी, अमर सिंह लोधी, राम अवतार सिंह, लोधी संस्था के सचिव रामचंद्र पथरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल पथरिया, संस्था के कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह लोधी, मूलचंद लोधा, शशिकांत लोधी, विक्रम पथरिया एवं आलोक के अध्यक्ष राजेश पथरिया आदि उपस्थित रहे।

गायत्री परिवार जयपुर उपजोन समन्वय समिति की बैठक संपन्न

जयपुर, 24 सितंबर (पंजाब केसरी) : गायत्री परिवार जयपुर उपजोन समन्वय समिति की बैठक किरण पथ मानसरोवर स्थित वेदना निवारण केन्द्र स्थित उपजोन कार्यालय में हुई। बैठक में राजस्थान जोन समन्वयक ओमप्रकाश अग्रवाल, प्रांतीय ट्रस्टी डॉ. प्रशांत भारद्वाज, सतीश भाटी तथा वेदना निवारण केन्द्र के व्यवस्थापक आरडी गुप्ता ने मार्गदर्शन दिया।

सार्वजनिक सूचना : जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री विरेन्द्र झा पुत्र स्वर्गीय श्री परमेश्वर झा, उम्र 69 वर्ष, निवासी मकान नं. 131/29, गली नं. 5, बाईजी की कोठी, फेज-4, झालाना डूंगरी, जयपुर (राज.) द्वारा अपने पुत्र श्री मनमोहन झा व उनके समस्त वारिसान को अपने नियंत्रण से बाहर होने, आज्ञा का उल्लंघन करने तथा आचरण सही न होने के कारण अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल (क्पेवूद) किया जाता है। साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि उक्त घोषणा के फलस्वरूप, भविष्य में अभिभाष्य के पुत्र (श्री मनमोहन झा) एवं उनके समस्त वारिसान द्वारा किये जाने वाले किसी भी कृत्य, कार्य, लेन-देन या कानूनी कार्यवाही के संबंध में मेरे अभिभाष्य या उनकी किसी भी चल-अचल सम्पत्ति का किसी भी प्रकार का कोई क्षतिपूर्ति, दायित्व या उत्तरदायित्व नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार या लेन-देन करता है, तो वह अपने नफा-नुकसान का स्वयं जिम्मेदार होगा।
भवदीय
ह./- (विनोद शर्मा/कमलेश शर्मा) अधिवक्ता

आम सूचना : यह कि भूखण्ड संख्या-09, गोविंद देव जी मंदिर की पश्चिमी दीवार के पास, मायला चौगान, जयपुर, क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज का विक्रय श्री बच्चन सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह द्वारा श्रीमती मन्नी देवी पत्नी स्व. श्री घीसीलाल गुर्जर को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 20.12.1983 द्वारा विक्रय किया गया। श्रीमती मन्नी देवी द्वारा उक्त भूखण्ड की वसीयत अपने दोनों पौत्र श्री गोविंद गोपाल गुर्जर व श्री विजय गुर्जर पुत्रान् स्व. श्री भंवरलाल गुर्जर पुत्र श्री घासीलाल गुर्जर के पक्ष में जरिये वसीयतनामा दिनांक 13.10.2011 द्वारा वसीयत की गयी। श्रीमती मन्नी देवी का स्वर्गवास होने के पश्चात् उक्त भूखण्ड का निर्बाध स्वामित्व श्री गोविंद गोपाल गुर्जर व श्री विजय गुर्जर को प्राप्त हो गया व इस भूखण्ड पर अन्य किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद व किसी अन्य का दावा हक आदि नही है। अब इनके द्वारा उक्त भूखण्ड का विक्रय श्री नवरत्न कुल्थिया पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद कुल्थिया के पक्ष में किया जा रहा है। अब उक्त सम्पत्ति को श्री नवरत्न कुल्थिया द्वारा बंधक रखा जाकर आईसीआईसीआई होम फाइनेन्स कम्पनी लि. जयपुर से ऋण लिया जा रहा है। यदि उक्त सम्पत्ति के स्वामित्व या स्व. मन्नी देवी के द्वारा की गई वसीयत के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो सात दिन में पेश करें। बाद मियाद आपत्ति अमान्य होगी।
आर एम लॉ एसोसियट राजीव मित्तल, एडवोकेट
ए-19, वैशाली नगर, जयपुर, मो.नं. 9414048652

आम सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्लाट नम्बर 183, गंगा सागर-बी कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान जिसका क्षेत्रफल 288.88 वर्ग गज है जो जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जरिये पंजीकृत पट्टा विलेख क्रमांक 6957 दिनांक 27.09.2000 द्वारा श्री मोहर सिंह के नाम पर जारी कर दिया गया। तत्पश्चात् श्री मोहर सिंह उर्फ डाटिक ने मैसर्स मेकमिलन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ आवासीय परिसर का निर्माण करवाने के लिए एक पंजीकृत अनुबंध पत्र दिनांक 13.12.2010 को निष्पादित कर लिया। तत्पश्चात् मोहर सिंह डाटिक का स्वर्गवास दिनांक 22.04.2021 को हो गया। उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों में श्रीमती सुनीता चौधरी, श्रीमती प्रियंका डाटिक (पुत्रियां) व श्री सत्य प्रकाश (पुत्र) ने मिलकर अपनी माताजी श्रीमती भरत माला डाटिक धर्मपत्नि स्व. श्री मोहर सिंह डाटिक के हक में अनुबंध पत्र के अनुसार श्री मोहर सिंह के हिस्से में आये फ्लेट नम्बर 301, सैकिण्ड फ्लोर (छत सहित) एवं एक सर्वेन्ट रूम नं. 301 जिसका क्षेत्रफल 150 वर्गफीट है एवं भूखण्ड संख्या 183 में बनी इमारत के बेसमेन्ट में (अविभाजित 1/3 हिस्सा) है का पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 18.09.2023 के द्वारा अपने-अपने हक का त्याग कर दिया गया। तत्पश्चात् श्रीमती भरत माला डाटिक ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.10.2023 द्वारा फ्लेट नम्बर 301, सैकिण्ड फ्लोर (छत सहित) एवं एक सर्वेन्ट रूम नं. 301 जिसका क्षेत्रफल 150 वर्गफीट है एवं भूखण्ड संख्या 183 में बनी इमारत के बेसमेन्ट में (अविभाति 1/3 हिस्सा) का बेचान श्रीमती जयमाला रावत को कर दिया। इस प्रकार श्री वर्तमान में उक्त वर्णित सम्पूर्ण सम्पति के एकमात्र रूप से मालिक, स्वामी, अधिकारी व काबिज हुए। अब श्रीमती जयमाला रावत उक्त सम्पति पर वितीय संस्था **ICICI Bank Ltd.** से ऋण ले रहे हैं, सर्वसाधारण को उक्त सम्पति के विधिक वारिसान, मालिकाना हक, स्वामित्व, कब्जे अधिकार पर कोई आपत्ति हो तो सात दिवस में लिखित में मय दस्तावेज सूचित करे अन्यथा आपत्ति शून्य, अप्रभावी व अमान्य समझी जावेगी।
दिनांक... Gautam Kumar Sharma Advocate

ताराचंद कोठारी बने गौ सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष

जयपुर, 24 सितंबर (पंजाब केसरी) : भारतीय सनातन गौ सेवा संघ में संगठनात्मक विस्तार के क्रम में ताराचंद कोठारी को संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कोठारी राष्ट्रीय स्तर पर संघ के कार्यों का नेतृत्व करेंगे।

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, सिवाना जिला बालोतरा

क्रमांक: प ()Tender/2026-27/307 **दिनांक :** 20.09.2026

ई-निविदा सूचना संख्या 11-12/2026-27

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग पंचायत समिति पायलां कलां व समदड़ी में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान-2.0 द्वितीय चरण स्वीकृत विभिन्न कार्यों के कुल नं. 02 पैकेज जल संग्रहण संरचना निर्माण कार्य एवं दोष निवारण के लिए उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in[www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती हैं। निविदा दिनांक 22.09.2026 को प्रातः 09:30 बजे से 01.10.2026 को सायं 06:00 बजे तक वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड एवं अपलोड की जा सकती है।

Block	Tender No.	Cost (In Lacs)	NIB Code	UBN Code
Payla Kalla	11/2026-27	22.30	**WSC2627 A1351**	**WSC2627 WSOB02419**
Samdari	12/2026-27	17.65	**WSC2627 A1352**	**WSC2627 WSOB02420**

ह./- अधिशाषी अभियंता
DIPR/C/16312/2026 जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण सिवाना

अनंत चतुर्दशी आज, गणेश प्रतिमा का होगा विसर्जन

जयपुर, 24 सितंबर (पंजाब केसरी) : भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना का पर्व 'अनंत चतुर्दशी' आज मनाया जाएगा। दस दिवसीय गणेशोत्सव का पारंपरिक समापन होगा और श्रद्धालु गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन करेंगे। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि गुरुवार रात 11:19 बजे शुरू हो गई जो शुक्रवार रात 11:07 बजे तक रहेगी। उदयातिथि के आधार पर अनंत चतुर्दशी शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्य डॉ. महेन्द्र मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार को रवि योग का भी संयोग रहेगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार रवि योग सुबह 6:11 से 11:22 बजे तक रहेगा।

श्रद्धालु 14 गांठ का अनंत सूत्र करेंगे धारण : धार्मिक-ज्योतिषीय मान्यताओं में रवि योग को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है। अनंत चतुर्दशी पर शुक्रवार, रवि योग, शतभिषा नक्षत्र और शूल योग का संयोग बन रहा है। श्रद्धालु व्रत रखकर 14 गांठ वाला अनंत सूत्र धारण करेंगे। धार्मिक मान्यता में इन 14 गांठों को 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। पूजा में भगवान विष्णु को फल, फूल, पंचामृत और नैवेद्य अर्पित कर अनंत व्रत की कथा सुनी जाती है।

पंचांग के अनुसार शुक्रवार सुबह तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। शूल योग दोपहर 2:50 बजे तक रहेगा, इसके बाद गंड योग प्रारंभ होगा। राहुकाल सुबह 10:48 से दोपहर 12:18 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 बजे तक रहेगा।

अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन मुख्य आयोजन होगा। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर स्थापित गणपति प्रतिमाओं का दस दिवसीय पूजन शुक्रवार को विसर्जन के साथ पूरा होगा। घरों और सार्वजनिक पंडालों में परंपरा के अनुसार डेढ़, तीन, पांच, सात अथवा अन्य निर्धारित दिन में भी विसर्जन किया जाता है, जबकि 10 दिवसीय गणेशोत्सव का पारंपरिक समापन अनंत चतुर्दशी पर होता है।

HDFC BANK — We understand your world

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड; चतुर्थ मंजिल, टाईम्स स्क्वायर, 10, सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान-302023

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें) कब्जे की सूचना

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत एवं सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(2) सपठित नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने डिमाण्ड नोटिस दिनांक 27.08.2019 को जारी किया, जिसमें ऋणियों/सह-ऋणी/बन्धककर्ता- (1) मैसर्स राजस्थान प्लाईवुड एंड [illegible] (ऋणी), (2) श्री गोपाल कृष्ण बिहानी पुत्र श्री [illegible] बिहानी (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता), (3) श्री दीवाकर बिहानी पुत्र श्री गोपाल कृष्ण बिहानी (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता), को नोटिस में उल्लेखित बकाया राशि रू. 1,93,05,064/- (रुपये एक करोड़ तिरानवे लाख पाँच हजार चौंसठ मात्र) दिनांक 26.08.2019 तक देय तथा भविष्य का ब्याज पूर्ण भुगतान होने की तारीख तक, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया था।

ऋणी/सह-ऋणी/बन्धककर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, उक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा ऋणी/सह-ऋणी/ बन्धककर्ता और आमजन को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लेखित की गई सम्पत्ति का कब्जा वर्ष 2026 माह सितम्बर की दिनांक 22 को प्राप्त कर लिया है।

ऋणी/सह-ऋणी/बन्धककर्ता विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में कोई लेन-देन न करें। संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन पर रू. 1,93,05,064/- (रुपये एक करोड़ तिरानवे लाख पाँच हजार चौंसठ मात्र) दिनांक 26.08.2019 तक देय तथा भविष्य का ब्याज पूर्ण भुगतान होने की तारीख तक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का प्रभार बना रहेगा। वर्तमान में दिनांक 21.09.2026 तक बकाया राशि रू. 2,37,17,418/- (रुपये दो करोड़ सैंतीस लाख सत्रह हजार चार सौ अठारह मात्र) तथा दिनांक 22.09.2026 से अनुबंध शर्तों अनुसार भविष्य का ब्याज राशि के पूर्ण भुगतान की तिथि तक देय रहेगा। ऋणी का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

अचल सम्पत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जिसमें भूमि, भवन, स्ट्रक्चर्स, फिक्चर्स, इंस्टालेशन्स इत्यादि शामिल जिसका विवरण निम्न है:- संपत्ति 01- 'श्री गोपाल कृष्ण बिहानी के स्वामित्व में शॉप नं. 35, न्यू आतिश मार्केट, गोपालपुरा बाय पास, जयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज'।
संपत्ति 02- 'श्री दीवाकर बिहानी के स्वामित्व में शॉप नं. 36, न्यू आतिश मार्केट, गोपालपुरा बाय पास, जयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज'।
दिनांक: 22/09/2026, स्थान: जयपुर प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, बड़ौदा भवन
द्वितीय मंजिल, प्लॉट नं.13 एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर-302018,
फोन: 0141-2727166, ई-मेल: armjai@bankofbaroda.bank.in

अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस "परिशिष्ट-IVक" (नियम 8(6) का परन्तुक देखें)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।
आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले, गिरवी रखने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक/प्रभारित है, का कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, नीचे दिये गये खाते में बकाया की वसूली के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूत लेनदार द्वारा "जहां है, जैसी है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नवर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। प्रत्याभूति-दाता का विवरण, गिरवी रखने वाले, नामन्तर, सुरक्षित सम्पत्ति, बकाया, आरक्षित मूल्य, ई-नीलामी की दिनांक व समय, अग्रिम धन राशि एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण निम्न तालिका अनुसार होगा।

क्र. सं.	ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं के नाम एवं पते	ज्ञात ऋणभार यदि कोई हो, के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कुल बकाया	ई-नीलामी दिनांक / ई-नीलामी का समय	आरक्षित मूल्य, जमा धरोहर राशि (ईएमडी) एवं बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (सांकेतिक/वास्तविक)	सम्पत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय
1.	1.श्रीमती सुनीता पत्नी स्वर्गीय श्री अरविंद कुमार शर्मा स्वर्गीय श्री राजपाल शर्मा (ऋणी) की कानूनी वारिस व मां पता:-1. बी-606, 6वीं मंजिल, श्री सिंह, चोपड़िया उत्सव विहार, मांग्याबास, जयपुर, राजस्थान 302029; 2.फ्लैट नंबर 509, 5वीं मंजिल, मोतिका अन्विता पीएच-1 मोड़ चक सांगानेर, तहसील-सांगानेर, जयपुर 303905 राजस्थान	फ्लैट नंबर 509, 5वीं मंजिल, मोतिका अन्विता, ब्लॉक-1, ग्राम चक [illegible], तहसील सांगानेर, जयपुर-303905 (राजस्थान) में स्थित जो स्वर्गीय श्री राजपाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री अरविंद कुमार शर्मा (कानूनी वारिस:- श्रीमती सुनीता शर्मा, पत्नी स्वर्गीय श्री अरविंद कुमार शर्मा) के नाम से है। बिल्ट-अप एरिया: 586.75 वर्गफीट; [illegible] ज्ञात भार :- ज्ञात नहीं	रुपये 33,77,839.65 दिनांक 15.08.2026 तक बकाया (15.08.2026 तक ब्याज शामिल) + ब्याज, लागत, प्रभार एवं अन्य वसूली खर्च इत्यादि	13-10-2026 / दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य रुपये 26,44,000/-; धरोहर राशि रुपये 2,64,400/-; बोली वृद्धि राशि- रुपये 10,000/-	बैंक के पास भौतिक कब्जा है	12.10.2026 प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक; केवाईसी एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख 12.10.2026 up to 23.59 PM

विक्रय के नियम और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट अर्थात https://bankofbaroda.bank.in/e-auction एवं https://baanknet.com को देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से फोन नंबर 0141-2727166 मो. 9116014474 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक विवरण हेतु स्कैन करें
दिनांक: 24-09-2026 स्थान: जयपुर प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

चुनाव आयोग के रास्ते चुनाव चोरी कर रही भाजपा : डोटासरा

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बोले-28 से सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस

जयपुर, 24 सितंबर (पंजाब केसरी) : केंद्र में लगातार भाजपा वोट चोरी कर सरकार बना रही है। देश के विभिन्न राज्यों में जनमत भाजपा के खिलाफ था, किंतु चुनाव आयोग ने साजिश कर अमित शाह ने राज्य की सरकारे लूट ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही इस साजिश का पर्दाफांस कर दिया था। एसआईआर धांधली, बेईमानी वोट चोरी का चोर रास्ता बन गया है। पूरे देश के वोट बैंक पर केंद्रीय चुनाव आयोग का कंट्रोल है। वोट काटने और जोड़ने के मनमर्जी फैसले भाजपा नेताओं के इशारे पर चुनाव आयोग कर रहा है।

यह आरोप पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कांफ्रेंस में लगाते हुए कहा कि पिछले 10 माह में 14 बार चुनाव आयोग के दो सदस्यों विवेक जोशी और सुखवीर सिंह संधू ने आपत्ति दर्ज कराई लेकिन सीईओ ज्ञानेश कुमार ने फार्म 6 में बदलाव कर दिया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर में नाम काटने के बाद फिर नाम जोड़े गए उनके विरूद्ध अपील करने के आधार और निर्णय लेने के औचित्य तथा निर्णय में शामिल नहीं करने पर आपत्ति दर्ज करवाई है।

कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर 28 को करेगी प्रदर्शन : उन्होंने कहा कि पार्टी का निर्णय है कि 28 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का घेराव करेंगी। इसके पश्चात् प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकता ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी व पद से हटाए जाने तथा एसआईआर की पारदर्शी समीक्षा की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा प्रदर्शन किए जायेंगे।

सीईओ ज्ञानेश कुमार ने सिस्टम हाईजेक किया

डोटासरा ने कहा कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया व सिस्टम पारदर्शी होना चाहिए तथा चुनाव आयोग में तीनों सदस्यों में सर्वसम्मति अथवा बहुमत के आधार पर फैसला होना चाहिए। लेकिन पूरे सिस्टम को मुख्य चुनाव अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने हाईजैक कर लिया है। 1995 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि चुनाव आयोग में जो भी निर्णय हो या तो सर्वसम्मति से हो अथवा बहुमत के आधार पर हो, एक व्यक्ति का फैसला नहीं चल सकता है।

राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में यहीं हथकंडा चला : *नगर निकाय के चुनावों में इसी पेटर्न के आधार पर जनता के जनादेश को लूटा गया है। वार्डों के परिसीमन में बेईमानी की गई।*

गणेशजी को वार्षिकोत्सव में पधारने का दिया निमंत्रण

जयपुर, 24 सितंबर (पंजाब केसरी): श्री श्याम भजन संध्या परिवार सेवा समिति के 2 से 4 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले 34वें वार्षिकोत्सव के लिए गुरुवार को प्रथम पूज्य सहित विभिन्न देवालयों में जाकर भगवान को निमंत्रण दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक हरीकिशन टोडवाल, सुनीता टोडवाल, कलश यात्रा संयोजक मनोज मुरारका कबीरा वाले तथा कार्यक्रम संरक्षक ललित प्रसाद, दुर्गेश, योगेश खंडेलवाल, मुरारी लाल अग्रवाल और महेश माधवानी मौजूद थे।

चित्रों में उकेरा गौमाता का महत्व

जयपुर, 24 सितंबर (पंजाब केसरी) : गौमाता के जन्म से लेकर सेवा, पारंपरिक रस्मों और बिछड़ने तक मनुष्य और गाय के रिश्ते में ममता, अपनापन और संवेदना के अनेक रंग दिखाई देते हैं। इन्हीं भावों को गुरुवार को जवाहर कला केंद्र की सुरेख कला दीर्घा में गुजरात ललित कला केंद्र के सहयोग से आयोजित नेशनल फोटो प्रदर्शनी में तस्वीरों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

भरत मिलाप परिक्रमा

जयपुर, 24 सितंबर (पंजाब केसरी) : ठिकाना मंदिर श्री रामचंद से गुरूवार भाद्र पद की तेरस को मंदिर की वार्षिक भरत मिलाप परिक्रमा निकाली गई। यह यात्रा मंदिर की स्थापना के समय से निकली जा रहीं है। जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और परिक्रमा जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया, छोटी चौपड़ से होते हुए मंदिर परिसर वापस पहुंची। श्रद्धालु भाव विभोर होकर पूरे गाजे बाजे के साथ परिक्रमा में शामिल हुए।

गर्मी के कारण स्कूल समय में परिवर्तन तिथि में बढ़ाने की मांग

जयपुर, 24 सितंबर (पंजाब केसरी) : अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (विद्यालयी शिक्षा) और अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तु) ने अपने अपने स्तर पर शिक्षा मंत्री को पत्र लिख कर गर्मी को देखते हुए शिविरा पंचांग के अनुरूप एक अक्तूबर से स्कूल के समय में परिवर्तन न करते हुए इसे आगे बढ़ाने की मांग उठाई है।

प्रतियोगिताओं का आयोजन

जयपुर, 24 सितंबर (पंजाब केसरी) : राजस्थान विश्वविद्यालय में गुरूवार को एनएसएस दिवस के अवसर पर दर्शनशास्त्र विभाग में काव्यपाठ, आशु भाषण, प्रश्नोत्तरी एवं 'पता नहीं क्या निकल जाए' प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

LIC HFL — LIC HOUSING FINANCE LTD.

एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड
बी-98, उपासना टॉवर, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर फो. नं. 0141-3668834

सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002 धारा 13(2) के अन्तर्गत डिमाण्ड नोटिस

कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋणी का खाता एन.पी.ए. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार ऋण राशि को जमा कराने के लिए सिक्यूरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिनों का नोटिस निम्न तालिका के अनुसार ऋणियों/जमानतदारों को दिया गया था। [illegible] धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार [illegible] अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	(अ) ऋणी/जमानतदार का नाम व पता ऋण खाता सं.	(ब) धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस की दिनांक व राशि	(स) बंधक सम्पत्तियों का विवरण
1.	[illegible]	दिनांक 07.09.2026 रू. 1,37,83,472.05 (रुपये एक करोड़ सैंतीस लाख तिरासी हजार चार सौ बहत्तर एवं पांच पैसे मात्र) दिनांक 07.09.2026 तक बकाया एवं भविष्य का ब्याज, वसूली व्यय एवं अन्य खर्चे।	सम्पत्ति के सभी अंश व हिस्से सहित होने है:- सम्पत्ति पता:- प्लॉट सं. बी-188, [illegible] जयपुर, राजस्थान - [illegible], क्षेत्रफल 164.66 वर्गगज। सीमाएं- उत्तर में : प्लॉट सं. बी-187, दक्षिण में : सड़क 40' चौड़ी, पश्चिम में : [illegible], पूर्व में : सड़क 40' चौड़ी।
2.	[illegible]	दिनांक 07.09.2026 रू. 2,29,39,462.06 [illegible] दिनांक 07.09.2026 तक बकाया एवं भविष्य का ब्याज, वसूली व्यय एवं अन्य खर्चे।	[illegible]
3.	[illegible]	दिनांक 14.09.2026 खाता सं. 320100008433 के अंतर्गत रू. 23,21,887.01 एवं खाता सं. 320100008587 के अंतर्गत रू. 5,46,753.38 कुल रू. 28,68,650.39 [illegible] दिनांक 14.09.2026 तक बकाया एवं भविष्य का ब्याज, वसूली व्यय एवं अन्य खर्चे।	[illegible]
4.	[illegible]	दिनांक 14.09.2026 रू. 30,72,073.37 [illegible] दिनांक 14.09.2026 तक बकाया एवं भविष्य का ब्याज, वसूली व्यय एवं अन्य खर्चे।	[illegible]
5.	[illegible]	दिनांक 18.09.2026 रू. 19,20,169.47 [illegible] दिनांक 18.09.2026 तक बकाया एवं भविष्य का ब्याज, वसूली व्यय एवं अन्य खर्चे।	[illegible]
6.	[illegible]	दिनांक 18.09.2026 रू. 18,84,462.49 [illegible] दिनांक 18.09.2026 तक बकाया एवं भविष्य का ब्याज, वसूली व्यय एवं अन्य खर्चे।	[illegible]
7.	[illegible]	दिनांक 17.09.2026 रू. 17,45,658.60 [illegible] दिनांक 17.09.2026 तक बकाया एवं भविष्य का ब्याज, वसूली व्यय एवं अन्य खर्चे।	[illegible]
8.	[illegible]	दिनांक 16.09.2026 रू. 15,86,599.32 [illegible] दिनांक 16.09.2026 तक बकाया एवं भविष्य का ब्याज, वसूली व्यय एवं अन्य खर्चे।	[illegible]
9.	[illegible]	दिनांक 14.09.2026 रू. 16,47,323.91 [illegible] दिनांक 14.09.2026 तक बकाया एवं भविष्य का ब्याज, वसूली व्यय एवं अन्य खर्चे।	[illegible]
10.	[illegible]	दिनांक 16.09.2026 खाता सं. 320800005860 के अंतर्गत रू. 13,82,644.35 एवं खाता सं. 320800005866 के अंतर्गत रू. 18,82,626.76 कुल रू. 32,65,271.11 [illegible] दिनांक 16.09.2026 तक बकाया एवं भविष्य का ब्याज, वसूली व्यय एवं अन्य खर्चे।	[illegible]
11.	[illegible]	दिनांक 10.09.2026 रू. 22,50,560.39 [illegible] दिनांक 10.09.2026 तक बकाया एवं भविष्य का ब्याज, वसूली व्यय एवं अन्य खर्चे।	[illegible]
12.	[illegible]	दिनांक 10.09.2026 खाता सं. 321100001237 के अंतर्गत रू. 19,85,379.56 एवं खाता सं. 321100001238 के अंतर्गत रू. 16,92,674.06 कुल रू. 36,78,053.62 [illegible] दिनांक 10.09.2026 तक बकाया एवं भविष्य का ब्याज, वसूली व्यय एवं अन्य खर्चे।	[illegible]
13.	[illegible]	दिनांक 10.09.2026 रू. 12,26,867.51 [illegible] दिनांक 10.09.2026 तक बकाया एवं भविष्य का ब्याज, वसूली व्यय एवं अन्य खर्चे।	[illegible]
14.	[illegible]	दिनांक 18.09.2026 रू. 22,83,368.44 [illegible] दिनांक 18.09.2026 तक बकाया एवं भविष्य का ब्याज, वसूली व्यय एवं अन्य खर्चे।	[illegible]
15.	[illegible]	दिनांक 07.09.2026 रू. 14,82,248.42 [illegible] दिनांक 07.09.2026 तक बकाया एवं भविष्य का ब्याज, वसूली व्यय एवं अन्य खर्चे।	[illegible]
16.	[illegible]	दिनांक 24.09.2026 रू. 24,19,115.82 [illegible] दिनांक 24.09.2026 तक बकाया एवं भविष्य का ब्याज, वसूली व्यय एवं अन्य खर्चे।	[illegible]

दिनांक: 25.09.2026 स्थान: [illegible] मुख्य प्रबंधक (क्रेडिट मॉनिटरिंग) एवं प्राधिकृत अधिकारी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड